प्रेस नोट दिनांक- 10.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार एवं अन्य 01 नाबालिग पुलिस अभिरक्षा
धान के खेत में मिला युवक का शव, मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त वस्तुएँ बरामद
नाबालिग के इशारे पर की गई थी हत्या — पूछताछ में अभियुक्तों ने हत्या की बात कबूली
थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला स्थित अभियुक्त सुन्दर लाल पटेल के मकान के पास से घटना में संलिप्त अभियुक्तगण गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर पर ग्राम नरायनपुर कला निवासी वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि दिनांक 06.11.2025 की रात्रि उसके पुत्र की हत्या कर शव को घर के निकट धान के खेत में फेंक दिया गया। वादी के अनुसार, उसका पुत्र निमंत्रण कार्यक्रम से लौटते समय महुआ के पेड़ के पास कुछ युवकों के साथ गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा।

वादी की तहरीर पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम बनाम कुछ पटेल लड़के नामजद/अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा निरंतर साक्ष्य संकलन, सर्विलांस सेल की सहायता एवं संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही थी। सतत प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण कर इसमें संलिप्त अभियुक्तगणों की पहचान व गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 विकास निषाद, उ0नि0 मृत्युंजय, उ0नि0. राजनाथ यादव, चालक हे0का0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 शिवम यादव, का0 अभिषेक सिंह, म0का0 करिश्मा, का0 सुनील

यादव व का0 सुजीत यादव का0 रामप्रताप यादव, का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों के दौरान प्राप्त मुखबिर की सूचना पर ग्राम सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला स्थित अभियुक्त सुन्दर लाल पटेल के मकान के पास से मु0अ0सं0 269/2025 धारा 103(1), 238, 61(2)(a) बी.एन.एस. व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण 1. सुन्दर लाल पटेल पुत्र शेर बहादुर पटेल, 2. अंकज पटेल पुत्र चिन्तामणि पटेल, 3. देवा सिंह पुत्र दयाराम पटेल निवासीगण ग्राम सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा 01 नाबालिग अभियुक्त (उम्र लगभग 17 वर्ष) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मृतक का 01 अदद टूटा हुआ मोबाइल फोन, 01 अदद सफेद धातु की टूटी चेन, 01 अदद स्कूल आईडी कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद दुपट्टा बरामद किया गया है। घटना से संबंधित साक्ष्य संकलन एवं अन्य विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
उल्लंघन करने वाले नाबालिक द्वारा पूछताछ में बताया कि मृतक का मुझसे कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलने में विवाद हो गया था तथा जिस लड़की से मैं बात करता था वह भी इंस्टाग्राम से उसी लड़की से बात करने लगा था तथा मेरा विरोध करने लगा था। इस बात को मैं अपने दोस्तो चर्चा की तो वे लोग भी कहे कि इस साले की इतनी हिम्मत तुम्हारी गर्लफ्रेन्ड से बात करेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर मैने और मेरे दोस्तो ने दिनांक 06.11.25 को सुन्दरलाल पटेल के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसमें मेरे दोस्त देवा पटेल, अंकज पटेल और सुन्दरलाल पटेल भी थे। सभी ने मिलकर वहां पर योजना बनायी और सभी लोगो ने बताया कि तुम दुपट्टे से शुभम की गर्दन को कस देना जब मर जायेगा तो हम लोगो को बताना। हम लोग आकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे।

अभियुक्तों ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि दिनांक 06.11.2025 की रात्रि में मृतक नि० ग्राम नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ का हम लोगो ने योजना बनाकर गिरफ्तार नाबालिक को बढ़ा चढ़ा दिया था। जिसके बाद हम सभी ने मिलकर नाबालिक के द्वारा शुभम की हत्या करवा दी है। बचने के लिए हम लोग मृतक के शव को निमंत्रण में आने जाने वाले लोगो की वजह से ठीकाने नही लगा पाये थे, इसलिए धान के खेत में छिपा दिये थे कि कोई साक्ष्य न मिले लेकिन हम लोगो को मालूम हुआ कि हमारे बारे में पुलिस को भनक लग गई है। पुलिस हम लोगो को पकड़ने के लिए खोज रही है तो आज सुबह हम लोग भागने की फिराक में थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

मृतक की हत्या के बारे में पूछा गया तो विधि का उल्लंघन करने वाले नाबालिक उपरोक्त के द्वारा बताया कि शुभम को मैं उसके घर के सामने महुआ के बाग के आगे अकेला बुलाकर उसका मुंह दबाकर दुपट्टा से गला कसकर फसा दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। वहीं पर झाड़ में मैने वह दुपट्टा छिपाया था और मृतक की हत्या करते समय खींच खरोच में मेरे स्कूल का आईडी कार्ड व मेरे गले से चाँदी का चैन गिर गया था मै चलकर दिखा सकता हूँ।

मृतक के मोबाईल के बारे में पूछा गया तो बता रहा है कि नाबालिक के मोबाईल को मैने दूबे चौराहा के आगे बाग के पास नहर में तोड़ कर फेक दिया हूँ मैने मोबाइल कहां फेका हुआ है चल कर दिखा सकता हूँ।अभियुक्तों की निशानदेही पर मोबाइल बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों/ नाबालिक का विवरण-
01. सुन्दर लाल पटेल पुत्र शेर बहादुर पटेल निवासी सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. अंकज पटेल पुत्र चिन्तामणि पटेल निवासी सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. देवा सिंह पुत्र दयाराम पटेल निवासी ग्राम सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़
04. 01 नाबालिक निवासी सुकाल का पुरा, नरायनपुर कला थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 17 वर्ष

बरामदगी-
मृतक की 01 अदद टूटी हुई मोबाईल फोन, 01 अदद सफेद धातु का टूटा हुआ चेन, 01 अदद स्कूल आईडी, घटना में प्रयुक्त 01 अदद दुपट्टा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 विकास निषाद उ0नि0 मृत्युंजय, उ0नि0. राजनाथ यादव, मय चालक हे0का0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, का0 शिवम यादव, का० अभिषेक सिंह, म0का0 करिश्मा, का0 सुनील यादव, का0 सुजीत यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ

जमीन विवाद के चलते जिलाधिकारी आवास के निकट पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास—02 अभियुक्त गिरफ्तार, पेट्रोल भरा डिब्बा व माचिस बरामद

प्रतापगढ़।
दिनांक 09.11.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आवास के समीप 01 व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की सूचना आरटी सेट के माध्यम से प्राप्त हुई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अनुपम त्रिपाठी मय हमराह फोर्स के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुँचे।

मौके पर पाया गया कि अविनाश जायसवाल पुत्र स्व. सजनलाल जायसवाल, निवासी सहेरूवा विश्वनाथगंज थाना डेल्हूपुर, अपने चाचा राजाराम जायसवाल पुत्र मूलचंद जायसवाल के बहकावे एवं प्रेरणा पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस टीम द्वारा सतर्कता एवं धैर्यपूर्वक हस्तक्षेप कर उक्त प्रयास को विफल करते हुए दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर लिया गया।

प्राथमिक जांच में ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के मध्य घर-परिवार के सदस्य जगन्नाथ जायसवाल पुत्र मूलचंद जायसवाल से संबंधित भूमि विवाद चल रहा है, जिसके कारण आवेश में आकर उक्त कृत्य करने का प्रयास किया गया।

मौके से आत्मघाती प्रयास में प्रयुक्त सामग्री—
01 स्प्राइट प्लास्टिक डिब्बा पेट्रोल सहित,
01 चेकदार शर्ट,
01 माचिस
बरामद की गई।

उक्त संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 575/2025, धारा 108/62/226/351(2)/3(5) बी.एन.एस. बनाम 02 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग

पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अविनाश जायसवाल पुत्र सजनलाल निवासी सेहरवा विशवनाथ गंज थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष।
02. राजाराम जायसवाल पुत्र मूलचन्द निवासी सेहरवा विशवनाथगंज थाना देल्हुपर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 नासिर कमा, का सूरज नाथ मौर्य, का सूर्यशेखर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.10.2025 को ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में घायल व्यक्ति रुद्र प्रताप पाण्डेय की श्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में ईलाज के दौरान दिनांक 03.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त अभियोग में धारा 103 (1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा

191 (2)/191(3)/190/115 (2)/352/351(3)/131/109(1)/103 (1) BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत शुकुलपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूर्व में उक्त प्रकरण से संबंधित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त विपिन शुक्ला पुत्र अवधनारायण शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
1-मु0अ0सं0 290/2018 धारा 307/323/325/427/54 भादवि।
2-मु0अ0सं0 74/2019 धारा 120बी/387/504/507 भादवि।
3-मु0अ0सं0 202/2025 धारा धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/131/109(1)/110 BNS।
4-मु0अ0सं0 34A/14 धारा 452/323/504/506/427 भादवि।
5-मु0अ0सं0 90/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, का०मुकेश कुमार चालक का० अवतार सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे०का0 धनन्जय राय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 अरविन्द दुबे,का० सलमान, का0 आशुतोश पाण्डेय, का0 जागीर सिंह व सर्विलांस टीम का0 सनोज कुमार, चालक का0 राजेन्द्र कुमार जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, आईटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री

बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह का0 आकाश राय, का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64, 115(2), 352, 351(2), 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA, 3(2)V एससी एसटी एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विकास कुमार जायसवाल पुत्र मुन्नालाल जायसवाल निवासी ग्राम मोती का पुरवा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र-30 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ज्ञानीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विकास कुमार जायसवाल पुत्र मुन्नालाल जायसवाल निवासी ग्राम मोती का पुरवा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र-30 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह का0 आकाश राय, का0 अमित कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी मय हमराह कां0 यतेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लालगंज द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट सम्बन्धित परिवाद सं० 1242/25 धारा 138 एनआई एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त अमरनाथ सुत कामता प्रसाद नि0 ग्राम गोसाई राम का पुरवा मजरे लहूरेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र 28 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत अगई बार्डर पर गुमटी की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अमरनाथ सुत कामता प्रसाद नि0 ग्राम गोसाई राम का पुरवा मजरे लहूरेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली।
पुलिस टीम- उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी मय हमराह कां0 यतेन्द्र कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।